2020/00052

कोटो स्टेशनरी, माण्डलगढ़ 230219 | 25.8.20
9.6.22
17.10.22
16.11.22

राजस्थान सरकार

ला. सेको स्टेश

(कायदा — 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नम्बर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला–भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला कमाल 5
251 A (1) प्रार्थना पत्र	42/20	22.7.20	[signature] 20/7/23	

अनवान

श्री लक्ष्मण S/o उगमा रेबारी श्री सुगनलाल S/o फून्दीलाल ब्राह्मण

निवासी अमरपुरा निवासी जालीन्डी

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट
श्री गिरधारीलाल आचार्य

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार

रेस्पाडेन्ट / मदयूनाल

श्री .... श्री ....

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्ब... अहक... हुक्म... मे...
24/11/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकार उपस्थित। तहसीलदार किशोलिया से DLC रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस दि. 15.12.22 को पेश हो।	
15/12/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 12/1/23 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
12/1/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 23.2.23 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
23/2/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 22/3/23 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
22/3/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 6/4/23 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
6/4/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 11/5/23 को वास्ते बहस पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	तामील Check ...
11/5/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 16/5/23 को पेश हो।	

APP- A
Crim-5

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

लक्ष्मण बनाम सुगनलाल

दफा 251(A) नं. 4-2/20 वर्ष

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/5/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 6/6/23 को वास्ते निर्णय पेश हो। gov उप खण्ड अधिकारी	8/6
6/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 8/6/23 को पेश हो।	
8/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय 27/6/23 को पेश हो। 27/6/23	
27/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 13/07/23 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	
13/7/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 20/7/23 को वास्ते आदेश पेश हो। gov उप खण्ड अधिकारी	
20/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थी उपस्थित। निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती सीमा तिवाडी (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :- 42/2020 दायर तारीख 22.07.2020

अनवान

01 लखमण पिता उममा जाति रेबारी उम्र 42 वर्ष निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
02 प्रियका माता लुंगा पुत्री लदूर जाति रेबारी उम्र बालिग निवासी नृसिंह सागर तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
03 लीला माता लुंगा पुत्री लदूर जाति रेबारी उम्र बालिग निवासी नृसिंह सागर तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
04 भेवर पुत्री उममा जाति रेबारी उम्र बालिग निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
05 सुगना पुत्री उममा जाति रेबारी उम्र बालिग निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
06 पटतु पुत्री उममा जाति रेबारी उम्र बालिग निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

____प्रार्थीगण

बनाम

1 सुगनलाल पिता फून्दीलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2 मोहन पिता उदयलाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
3 मनोहरलाल पिता उदयलाल जाति बलाई उम्र बालिग निवासी अमरपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4 कैलाश पिता भूरा जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
5 जगदीश पिता गोपीलाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
6 उच्छब बाई पिता गोपालाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. शान्तिबाई पिता गोपालाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
8 कल्याण पिता जगन्नाथ जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
9 हीरा मु0 सोराम जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
10 खाना पिता भूरा जाति कराड़ उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
11 राजू पिता नगजीराम जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
12 बाबू पिता नगजीराम जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
13 भूरी पिता नगजीराम जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
14 रतनी पिता नगजीराम जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0
15. दुर्गा पिता चोथमल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
16. नर्मदा पिता स्व0 चोथमल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
17. गायत्री पिता नगजीराम जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
18 प्रेम बेवा नगजीराम जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी जलीन्दी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
19 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियां।

____अप्रार्थीगण/विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उपस्थित :- 1. श्री गिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता वादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :–20/07/2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम अमरपुरा प0ह0 जलीन्दी की आराजी न0 353/11, आराजी न0 10 व 11, 12, 13, 14, 9 व ग्राम जलीन्दी के आ0न0 1010/287, 287, 277/2 व 276 हैं। प्रार्थीगण की ग्राम जलीन्दी प0ह0 जलीन्दी के आ0न0 282, 282/1 में प्रार्थीगण का 1/2 हक हिस्सा निहित हैं। प्रार्थी ने उक्त भूमि के दक्षिणी भाग पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है विपक्षीगण के आ0न0 353/11 व 11 की दक्षिणी मेर पर होकर आ0न0 10, 11 की पश्चिम मेर व 9, 12, 13 व 14 की पूर्वी मेर पर होकर आ0न0 1010/287, 287 की पश्चिमी मेर पर होकर 276 व आ0न0 277/2 की पूर्वी मेर पर होकर प्रार्थीगण अपनी आ0न0 282 व आ0न0 282/1 की पश्चिमी मेर पर पहुंचकर अपनी अपनी आराजियात पर पहुंचते है उक्त रास्ता वर्तमान में मौके पर 15 फीट चौड़ा है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के परिवारजन सजवेल, पैदल, टैक्टर एवं अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने में उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं वो रास्ता राजस्व रेकॉर्ड रेकॉर्ड एवं नक्शे में दर्ज नहीं हैं जिससे विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को आने जाने एवं कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु दिनांक 18.06.2020 को मना कर दिया हैं इसलिए प्रार्थीगण की आ0न0 282 व आ0न0 282/1 पर पहुंचने हेतु आ0न0 353/11 व 11 की दक्षिणी मेर व आ0न0 10, 11, 1010/287 व 287 की पश्चिमी मेर व आ0न0 277/2, 276, 9, 12, 13 व 14 की पूर्वी मेर पर स्थित रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड एवं नक्शे में स्थित 15 फीट चौड़ा रास्ते के बदले में तय किया जाने वाले मुआवजे के भुगतान को तैयार हैं। प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है।

अतः नियमानुसार राजस्व अभिलेखो में रास्ता दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गयी। विपक्षीगण बावजूद इतल्ला गैर हाजिर रहने से विपक्षीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट तहसीलदार बिजौलिया से तलब की गयी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट जरिये पत्रांक/राजस्व/2022/1996 दिनांक 07.09.2022 में अंकित किया कि लक्ष्मण पिता उगमा जाति रेबारी निवासी अमरपुरा वगै0 ने ग्राम जलीन्दी प0ह0 जलीन्दी की आराजी नं0 282 व 282/1 में आने जाने के लिए विपक्षीगण के आ0न0 353/11, 11 की दक्षिणी मेर व आ0न0 10, 11, 1010/287 व 287 की पश्चिमी मेर व आ0न0 277/2, 276, 9, 12, 13 व 14 की पूर्वी मेर पर होकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात पर पहुंचने के लिए 15 फीट चौडा रास्ता चाहा गया।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि की नवीन डी.एल.सी. दर ग्राम जलीन्दी की 332214 रू. प्रति हैक्टेयर व ग्राम अमरपुरा की 287477 रू. प्रति हैक्टेयर से भूमि की मालियत 42126 रू. का दुगुना से 84252 रू. की राशि बनती है।

प्रकरण में एकपक्षीय बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया तथा निवेदन किया कि प्रार्थी को स्वयं के खाते की भूमि पर पहुंचने के लिये रास्ता नही है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण को ग्राम जलीन्दी प0ह0 जलीन्दी की आराजी नं0 282 व 282/1 में आने जाने के लिए विपक्षीगण के आ0न0 353/11, 11 की दक्षिणी मेर व आ0न0 10, 11, 1010/287 व 287 की पश्चिमी मेर व आ0न0 277/2, 276, 9, 12, 13 व 14 की पूर्वी मेर पर होकर अपनी खातेदारी आराजीयात पर पहुंचने हेतु रास्ता प्रदान किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। तहसीलदार बिजौलिया ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में मौके पर दर्ज नही है।

–: आदेश :–

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** के तहत स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को स्वयं के खाते की भूमि ग्राम जलीन्दी प0ह0 जलीन्दी की आराजी नं0 282 व 282/1 में आने जाने के लिए विपक्षीगण के आ0न0 276 में से 0.03 बीघा, आ0न0 287 में से 0.02 बीघा, आ0न0 1010/287 में से 0.01 बीघा, आ0न0 277/2 में से 0.01 बीघा एवं ग्राम अमरपुरा प0ह0 जलीन्दी की आ0न0 9 में से 0.01 बीघा, आ0न0 14 में से 0.01 बीघा, आ0न0 12 में से 0.01 बीघा, आ0न0 13 में से 0.01 बीघा, आ0न0 10 में से 0.01 बीघा, आ0न0 11 में से 0.03 बीघा, आ0न0 353/11 में से 0.01 बीघा, आ0न0 32 में से 0.01 बीघा कुल किता 9 रकबा 0.17 बीघा भूमि रास्ते हेतु राजस्व रेकॉर्ड में गै0मू0 रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अभिलिखित करने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रस्तावित रास्ते की भूमि की नवीन डी.एल.सी. दर ग्राम जलीन्दी की 332214 रू. प्रति हैक्टेयर व ग्राम अमरपुरा की 287477 रू. प्रति हैक्टेयर से भूमि की मालियत 42126 रू. का दुगुना से 84252 रू. की राशि बनती है। बतौर मुहावजा भुगतान योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा कराने पर नियमान्तर्गत रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 29/07/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

Scanned with OKEN Scanner